दिनांक 10.01.2023 **स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई**

नई एजेंसी शीघ्र करेगी भिलाई में टैक्स वसूली का काम, एजेंसी ने दिया अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण

भिलाई नगर/ नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत राजस्व करो की वसूली के अंतर्गत डोर टू डोर, राजस्व संपत्तिकर, समेकित कर, जलकर, विज्ञापन कर, यूजर चार्ज इत्यादि की वसूली कार्य के लिए नई एजेंसी शीघ्र ही टैक्स वसूली का काम चालू कर देगी। इसके लिए एजेंसी ने अपने कर्मचारियों को आज प्रशिक्षण दिया है। श्री पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स प्राइवेट लिमिटेड की एजेंसी अब टैक्स वसूली का काम करेगी। निगमायुक्त रोहित व्यास ने नई एजेंसी को शीघ्र टैक्स वसूली का कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं इसके साथ ही निगम के अधिकारियों को समन्वय स्थापित कर टैक्स वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए है। डोर टू डोर वसूली से लेकर टैक्स की अच्छी वसूली के लिए निगम का राजस्व बढ़ाने का काम अब नई एजेंसी करेगी। इसके तहत निगम नया आईडी जारी करने का भी काम करेगा। एजेंसी के द्वारा एक समरूपता के तहत कर्मचारियों को ड्रेस कोड तथा पहचान पत्र प्रदान किया गया है , ताकि जब यह टैक्स वसूली के लिए जाएं तो टैक्स कलेक्शन में इन्हें आसानी हो। उल्लेखनीय है कि स्पैरो के अनुबंध की अवधि दिनांक 30 दिसंबर 2022 को समाप्त हो चुकी है। नई एजेंसी के कार्य प्रारंभ करने तक टैक्स कलेक्शन के लिए निगम मुख्य कार्यालय सहित समस्त जोन कार्यालय में टैक्स जमा करने की व्यवस्था निगम ने विभागीय तौर पर की है। यहां आकर करदाता आसानी से अपना टैक्स जमा कर सकते हैं।